राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांक प. 18 (1) सा.प्र/4/13 जयपुर, दिनांक 8/5/14

1. समस्त प्रबंधक, विश्राम भवन, राजस्थान ।
2. प्रबन्धक, राजस्थान हाऊस/जोधपुर हाऊस /चाणक्यपुरी गेस्ट हाऊस, नई दिल्ली।
3. प्रबन्धक, ट्रांजिट होस्टल, गांधीनगर, जयपुर।

विषयः– विश्राम भवनों के बकाया की वसूली के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि विभिन्न विश्राम –भवनों में अतिथियों के विरूद्ध बकाया की समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि विश्राम भवनों के प्रबंधकों द्वारा विभागीय निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है।

विभाग द्वारा परिपत्र सं. प.16 (46) साप्र /4/85 दिनांक 27.11.95 द्वारा विश्राम भवनों /राजस्थान हाउस में किसी भी प्रकार की उधारी को प्रतिबंधित कर दिया गया था। समय–समय पर जारी अन्य पत्रों/परिपत्रों के माध्यम से भी प्रबंधकों को किसी भी प्रकार की सेवा उधार उपलब्ध नहीं कराने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है।

स्पष्ट विभागीय निर्देशों तथा वसूली के संबंध में GFAR में स्पष्ट प्रावधान(नियम–168) होने के बावजूद उधार देने और उसे वसूल नहीं कर पाने की स्थिति में संबंधित प्रबंधक/वरि. हाउसकीपर /हाउसकीपर के वेतन से राशि काटे जाने के निर्देश भी प्रदान किए गए थे। इसके पश्चात् भी नवीन उधार की सूचना प्राप्त होना कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही को प्रकट करता है।

अतः यह निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यालय में बकाया किसी भी प्रकार की राजकीय राशि की वसूली के लिए पूर्ण प्रयास करें तथा दिनांक 15.06.14 तक शेष राशि को शून्य कर विभाग को सूचित करें।

इसके अतिरिक्त निम्नांकित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें–

1 .स्वागत कक्ष पर बोर्ड लगाकर अंकित किया जाए कि "कृपया चैक–आउट के समय सभी भुगतान कर दें"।
2 .पदनाम (यथा–जिला कलेक्टर, अधिशाषी अभियंता आदि)से बिल नहीं बनाये जाएँ।

15.06.2014 को सभी प्रयासों के बाद भी बकाया रही राशि का विवरण निम्नलिखित format में soft copy सहित इस विभाग को भेजें।

क्र सं.	अतिथि का नाम	पद	पता	बकाया राशि	आवासित रहने की अवधि	तत्समय कार्यरत प्रबंधक का नाम

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव (क)